प्रेस नोट 22.04.2021

एक अवैध पिस्टल व एक तमंचा मय जिंदा कारतूस के साथ 02 शातिर गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.04.2021 को थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर गाजीपुर तिराहे के पास से राजकुमार वर्मा पुत्र नन्दलाल वर्मा निवासी ख्वाजाजहांपुर भीटी थाना कोतवाली, अमन राजभर उर्फ जुनियर पुत्र महेश राजभर निवासी अमवारी थाना जीयनपुर जनपद आममगढ़ हाल पता मुंशीपुरा बेलाल मस्जिद के पास थाना कोतवाली को गिरफ्तार किया गया तथा दोनों के कब्जे से क्रमशः राजकुमार के पास से एक अवैध पिस्टल 32 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस तथा अमन राजभर के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 173,174/21 धारा 3/25 आयुद्य अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 27 व्यक्ति व एक वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 22.04.2021 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **चिरैयाकोट** पुलिस द्वारा रामकरन, अनिल, सचिन निवासीगण रसूलपुर थाना चिरैयाकोट, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा संजय, सोहन, रामकेवल, राजेश, शैलेन्द्र, रामभाव निवासीगण सीसवा थाना मधुबन, थाना **घोसी** पुलिस द्वारा आशिफ निवासी कस्बा घोसी थाना घोसी, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा राहिद, रेहान, मा0 सलिम निवासी रधुनाथपुरा, अफरोज, अबुल कैफ निवासीगण नवापुरा, असगर अली, सलीम निवासी बड़ी कम्हरिया, सूरज, धीरज निवासीगण ख्वाजाजाहापुर, प्रदीप निवासी हरपुर थाना सरायलखंसी, अरसद निवासी न्याजमोहम्मदपुरा थाना कोतवाली, थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा बाबुलाल, सम्भू, विनोद निवासीगण भीरा, रामअधार, बुढन, कन्हैया, त्यागीराम निवासीगण चकबोझी थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी तथा थाना **हलधरपुर पुलिस द्वारा वारंटी** अभियुक्त इरफान पुत्र छोटक निवासी पहसा थाना हलधरपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

थाना घोसी क्षेत्रान्तर्गत ग्रामसभा मिश्रौली रामनिधी में वर्ष 2015 पंचायत चुनाव में मतदान केन्द्र पर एसडीएम व पुलिस बल के साथ मारपीट व चुनाव में गड़बड़ी पैदा करने वाले 04 शातिरों सहित 19 अभ्यासतन अपराधियों के विरूद्ध की गयी जिलाबदर की कार्यवाही-

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जनपद में कानून/शांति व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने तथा चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु, पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी मऊ श्री अमित सिंह बंसल द्वारा 19 अभ्यासतन अपराधियों के विरूद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गयी है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त अपराधियों के रिपोर्ट की समीक्षा में पाया कि ये लोग चुनाव के दौरान अपने

क्षेत्र में रहने के योग्य नही हैं तथा चुनाव में विपक्षी उम्मीदवारों को डराने धमकानें का काम करते हैं तथा वोटरों में भय व्याप्त करते है। जिनका विवरण निम्नवत है-

1 .अजीत कुमार पुत्र रामप्यारे निवासी बुढ़ावे थाना सरायलखंसी जनपद मऊ (03 माह)

2 .मधू पुत्र रमेश निवासी बैराठपुर थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ (04 माह)

3. ताड़कनाथ यादव पुत्र शिवपूजन उर्फ शिवकुमार यादव निवासी बरडीह थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ (06 माह)

4 .हरेन्द्र पुत्र लाला निवासी सुरहुुरपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ (04 माह)

5 .प्रवीण कुमार सिंह उर्फ सिन्टु सिंह पुत्र अरविन्द सिंह निवासी देवखरी थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ (02 माह)

6 .राजकुमार उर्फ रिशू पुत्र राजेश सिंह निवासी देवखरी थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ (02 माह)

7 .हरिकेश यादव उर्फ हडबड़ी पुत्र काशीनाथ यादव निवासी भवानीपुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ (04 माह)

8 .अजय शंकर चौबे पुत्र सुरेन्द्र चौबे निवासी बरवा थाना रानीपुर जनपद मऊ (06 माह)

9 .जयराम यादव पुत्र किशोर यादव निवासी धर्मपुर विषूनपुर थाना मधुबन जनपद मऊ (06 माह)

10 . दीपक चैहान पुत्र गुलाब चैहान निवासी बकराबाद थाना हलधरपुर जनपद मऊ (04 माह)

11 . विषुनदेव राजभर पुत्र छटंकी राजभर निवासी चकरा थाना हलधरपुर जनपद मऊ (06 माह)

12 . संजय यादव उर्फ झार पहलवान पुत्र रामबदन यादव निवासी रज्जू का पुरवा सिंधवल थाना हलधरपुर जनपद मऊ (06 माह)

13 .धर्मराज यादव पुत्र बेचन यादव निवासी मिश्रौली रामनिधि थाना घोसी जनपद मऊ (03 माह)

14. बबलू यादव पुत्र रामध्यान यादव निवासी मिश्रौली रामनिधि थाना घोसी जनपद मऊ (03 माह)

15. मुलायम यादव उर्फ नितेश पुत्र देवेन्द्र यादव निवासी मिश्रौली रामनिधि थाना घोसी जनपद मऊ (03 माह)

16. संतोष यादव पुत्र बिन्द्रा निवासी मिश्रौली रामनिधि थाना घोसी जनपद मऊ (03 माह)

17. ओबेदुल्लाह पुत्र अमानुल्लाह निवासी हमीदपुर थाना घोसी जनपद मऊ (04 माह)

18. फजल पुत्र सरफराज निवासी हमीदपुर थाना घोसी जनपद मऊ (04 माह)

19. पवन राय उर्फ बिट्टू पुत्र उदयभान राय निवासी नवापुरा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ (04 माह)

उल्लेखनीय है कि उक्त धर्मराज यादव, बबलू यादव, मुलायम यादव व संतोष यादव व अन्य द्वारा वर्ष 2015 पंचायत चुनाव में थाना घोसी क्षेत्रात्र्तगत मिश्रौली रामनिधी पोलिंग पर एसडीएम एवं नियुक्त पुलिस बल के साथ मारपीट की घटना कारित किये जाने तथा चुनाव सम्बन्धी प्रक्रियाओं में व्यवधान पैदा कर भारी अराजकता फैलायी गयी थी तथा सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना घोसी पर मु0अ0सं0 1497/15 धारा 147,148,149,392,332,333,353,323,325, 504,506,427,336, 307,419,420 भादवि सहित अन्य धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

साथ ही साथ उपरोक्त हरिकेष यादव उर्फ हडबड़ी थाना चिरैयाकोट के विरुद्ध हत्या, लूट जैसे संगीन अपराधों में दर्जनों अभियोग पंजीकृत हैं।

समस्त थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि आज ही आदेश का नियमानुसार तामीला कराकर जनपद की सीमा से बहिस्कासन सुनिश्चित करें। यदि इनके द्वारा निर्धारित समयावधि में जनपद की सीमा में प्रवेश किया जाता है तो धारा 10 गुण्डा अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की जायेगी।

यह भी उल्लेखनीय है वर्तमान में प्रचलित पंचायत चुनाव तथा आगामी चुनाव में किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध गम्भीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की जायेगी तथा गैंगेस्टर एवं एन0एस0ए0 की कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।